समझौता ज्ञापन (एमओए)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक विभाग है जो दिव्यांगजनों (डीईपीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण पर नीति बनाने के लिए एक नोडल विभाग है, वर्तमान में इसका कार्यालय 5वां तल, पं.दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली - 110003 में है, इसमें इसके बाद प्रथम पक्षकार की पार्टी के रूप में इसे संक्षेप में डीईपीडब्ल्यूडी के नाम से संदर्भ किया जाएगा।

और

(कोचिंग संस्थान का नाम और पूरा पता), इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्ष की पार्टी के रूप में उल्लिखित।

के बीच

यह समझौता नीचे उल्लिखित पार्टियों के बीच किया गया है और इसमें दोनों की सहमति है तथा .....के .....को दोनों ने इस पर हस्ताक्षर किया है।

1. पृष्ठभूमि

संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 41 ("राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत") में प्रावधान है कि राज्य बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिव्यांगता के मामलों में काम करने, शिक्षा प्राप्त करने और लोक सहायता का अधिकार हासिल करने और अनर्ह अभाव के अन्य मामलों में प्रभावी प्रावधान करेगा।

संविधान के भाग-IV के अनुच्छेद 46 में राज्य को कमजोर वर्गों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल को बढ़ावा देने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी भाग के अनुच्छेद 38(2) में राज्य को आय में असमानताओं को कम करने और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले अथवा विभिन्न व्यवसायों में काम करने वाले लोगों के समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करने के लिए भी आदेश दिया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने 1 अप्रैल, 2017 से "दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग" नामक एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना योजना शुरू की है। इस योजना को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों/संस्थानों आदि के साथ साझेदारी में लागू किया जाना है और दिनांक 30 मार्च, 2017 के का.ज्ञा. संख्या 14-24/2013-छात्रवृत्ति में निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार दिव्यांगजनों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

I. समझौता ज्ञापन (एमओए) का उद्देश्य

एमओए का उद्देश्य इसमें ऊपर उल्लिखित योजना के तहत दिव्यांग छात्रों के लिए अच्छी गुणवत्ता परक कोचिंग प्रदान करने में प्रत्येक पार्टी की जिम्मेदारियां स्थापित करना और प्रतियोगी/प्रवेश परिक्षाओं में शामिल होने तथा सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उचित नौकरी प्राप्त करने अथवा वांछित पाठ्यक्रम करने के लिए उन्हें समर्थ बनाना है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
कोचिंग संस्थान

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
डीईपीब्ल्यूडी

II. अवधि

यह समझौता ज्ञापन (एमओए) दोनों पार्टियों के बीच हस्ताक्षर करने पर प्रभावी होगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा, जब तक उक्त अवधि से पहले दोनों पक्षों में से किसी एक द्वारा लिखित रूप में इसे रद्द न किया जाए।

III. पाठ्यक्रम और शुल्क की मात्रा

पाठ्यक्रम जिसके लिए कोचिंग प्रदान की जाएगी और उसका शुल्क नीचे दिए गए अनुसार है-

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	केंद्र का स्थान	पाठ्यक्रम की अवधि	प्रति उम्मीदवार शुल्क	प्रत्येक पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों/छात्रों की प्रत्याशित संख्या
1					
2					

IV. उम्मीदवारों/छात्रों के लिए पात्रता मानदंड

i) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम के तहत शामिल दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध होगी।

ii) कोचिंग संस्थान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानदंड के आधार पर छात्रों का चयन किया जाना चाहिए। संस्थान विशेष मामलों में इन मानदंडों में केवल डीईपीडब्ल्यूडी के परामर्श से छूट दे सकता है।

iii) उम्मीदवारों को उन परीक्षाओं/पाठ्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पात्र होना चाहिए जिनके लिए वे इस योजना के तहत कोचिंग चाहते हैं।

iv) इस योजना के तहत लाभों हेतु केवल वही दिव्यांग छात्र पात्र होंगे जिनकी कुल परिवार आय सभी स्रोतों से प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये या उससे कम है। इसके लिए, स्वनियोजित अभिभावक/संरक्षक की आय घोषणा तहसीलदार रैंक के राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र के रूप में होनी चाहिए। नियोजित माता-पिता/संरक्षकों को

आय के किसी अन्य अतिरिक्त स्रोत के लिए राजस्व अधिकारी से आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है, या यदि रोजगार के अलावा उनकी कोई आय नहीं है तो उन्हें स्व घोषणा देनी होगी।

v) इस योजना के तहत एक विशिष्ट छात्र द्वारा एक बार से अधिक लाभ नहीं उठाया जा सकता है, चाहे वह एक विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा में कितनी बार भी भाग लेने के लिए पात्र हो। कोचिंग संस्थान को छात्रों से यह शपथ पत्र भी लेना अपेक्षित होगा कि उन्होंने इस योजना के तहत एक बार से अधिक लाभ नहीं लिया है, साथ ही उनका आधार नम्बर, या यथा निर्धारित वैकल्पिक पहचान पत्र लेना होगा।

vi) जहां परीक्षा दो चरणों अर्थात प्रारंभिक और मुख्य, में आयोजित की जाती है, वहां उम्मीदवार दोनों परिक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए हकदार होंगे। तथापि, यदि उम्मीदवार का साक्षात्कार के लिए चयन किया जाता है तो साक्षात्कार के लिए कोचिंग हेतु अवसर की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

vii) किसी भी वैध कारण के बिना किसी छात्र के 15 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में, इस विभाग को सूचित करते हुए उसे प्रदान किए जा रहे निःशुल्क कोचिंग के लाभ को बंद कर दिया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
कोचिंग संस्थान

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
डीईपीडब्ल्यूडी

v. निधियन

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार चयनित दिव्यांग छात्रों के संबंध में योजना तथा एमओए के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार समस्त कोचिंग शुल्क का निधियन करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों से परीक्षा शुल्क, ट्यूशन शुल्क, अथवा किसी भी अन्य नाम पर कोई अन्य शुल्क/प्रभार वसूल नहीं करेगा।

ii) संबंधित कोचिंग संस्थान/केंद्र को सीधे सहायता अनुदान (जीआईए) के रूप में शुल्क-घटक जारी किया जाएगा।

iii) संबंधित संस्थानों को कोचिंग के प्रत्येक बैच के लिए दो समान किस्तों में जीआईए जारी किया जाएगा।

iv) उम्मीदवार के नामांकन के बाद और निर्धारित प्रपत्र **(अनुबंध-क)** में उनके विवरण प्राप्त होने पर पाठ्यक्रम शुल्क की 50% राशि की पहली किस्त संस्थानों को जारी की जाएगी। कोचिंग संस्थानों को पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र, किए गए व्यय का ब्यौरा, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित लेखा, संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण और प्रशिक्षित छात्रों की संख्या को प्रस्तुत करने पर सहायता-अनुदान की दूसरी किस्त (प्रतिपूर्ति के रूप में) जारी की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव भेजते समय और बाद के वर्षों में प्रस्ताव को **अनुबंध-ख** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। .

v) कोचिंग संस्थान में दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए बायो-मेट्रिक उपस्थिति होगी। कोचिंग संस्थानों द्वारा बायो-मेट्रिक उपस्थिति का विवरण प्रदान किया जाएगा। केवल वही दिव्यांग छात्र (एसडब्ल्यूडी) मासिक स्टाइपेंड और विशेष भत्तों की पूर्ण राशि के लिए पात्र होंगे जिनकी उपस्थिति किसी विशिष्ट महीने में 50% से अधिक है।

vi) यदि कोई छात्र कोचिंग संस्थान में आना बंद कर देता है तो संस्थान को अनुमति दी जाएगी कि वह संस्थान में छात्र की उपस्थिति के महीनों के अनुपात में ट्यूशन फीस की वसूली कर सकें। सरलता के उद्देश्य के लिए, यदि छात्र आधे महीने से पहले ही कोचिंग में उपस्थित होना बंद कर देता है तो कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा।

vii) बाद के वर्ष के लिए निधि जारी करने से पहले संस्थानों के कार्य निष्पादन का आकलन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के बाद निधि जारी करना, पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के संतोषजनक कार्य निष्पादन पर निर्भर होगा।

viii) अनुबंध-घ में दिए गए अनुसार वित्त वर्ष के समाप्त होने के 6 महीनों के भीतर, पिछले

वित्त वर्ष में प्राप्त सभी अनुदानों के व्यय के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र जमा किया जाना चाहिए। उपयोग प्रमाण पत्र के साथ, पिछले वर्ष के अनुदानों से कोचिंग कराए गए सभी छात्रों का विवरण दर्शाते हुए संपरीक्षित लेखा विवरण, पाठ्यक्रम शुल्क और दिए गए स्टाइपेंड का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ix) पिछले वित्त वर्ष में कोचिंग कराए गए सभी छात्रों के लिए, उस परीक्षा, जिसके लिए कोचिंग कराई गई है, में निष्पादन पर विवरण, **अनुबंध-ङ** के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

x) अगले अनुवर्ती वित्त वर्ष के लिए अनुदान जारी किए जाने के प्रयोजनार्थ संस्थान द्वारा **अनुबंध-क तथा ख** के अनुसार विधिवत् भरा हुआ प्रपत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

xi) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा उम्मीदवारों को स्वीकार्य स्टाइपेंड और विशेष भत्ता, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी किया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) **(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)**

कोचिंग संस्थान **डीईपीब्ल्यूडी**

xii) **अनुबंध - क** में प्राप्त सूचना के आधार पर कोचिंग के लिए नामांकित उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या के संबंध में ही सहायता अनुदान जारी किया जाएगा।

VI. निबंधन और शर्तें

i) संस्थान कोचिंग और उम्मीदवारों के चयन का पूरे प्रगति रिकार्ड का रख रखाव करेगा।

ii) संस्थानों को जारी सहायता अनुदान को उनके द्वारा एक अलग खाते में डाला जाएगा।

iii) संस्थान इस योजना के निबंधन और शर्तों तथा इस समझौता ज्ञापन (एमओए) में निर्धारित किए गए उद्देश्य के लिए ही सहायता अनुदान का उपयोग करेगा। अनुदान ग्राही संस्थानों द्वारा इस शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में, संस्थान प्राप्त राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा और उस पर कोई अन्य कार्रवाई जैसा सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, की जा सकेगी।

iv) कोचिंग/प्रशिक्षण संस्थान को छात्र से यह वचन लेनी भी जरूरी होगा कि उन्होंने योजना के तहत पहले से ही लाभ नहीं लिया है।

v) ईसीएस/आरटीजीएस/एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से सीधे सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों के खाते में ई-भुगतान करने को सक्षम बनाने के लिए, अदाता से ई-भुगतान हेतु पूरा विवरण अर्थात् आदाता का नाम, बैंक आईएफएससी कोड नम्बर, बैंक की शाखा का नम्बर, नाम, उसके पते इत्यादि सहित, एक प्राधिकृत पत्र (**अनुबंध ग के अनुसार**) प्राप्त किया जाना चाहिए। गलत खाता संख्या से बचने के लिए संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक से प्राधिकृत पत्र प्रति हस्ताक्षरित कराया जाना चाहिए। पूरे वित्त वर्ष के लिए या वर्ष के दौरान जब तक खाता संख्या में परिवर्तन नहीं होता है तब तक केवल एक प्राधिकृत पत्र अपेक्षित है।

vi) इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रों के लिए संस्थान द्वारा प्रभारित शुल्क, उसी पाठ्यक्रम का लाभ उठाने वाले अन्य छात्र से प्रभारित शुल्क से अधिक नहीं होगा।

vii) समझौते और योजना के दिशानिर्देशों के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में और, अथवा इस समझौते में, जहां मंत्रालय का यह मानना है कि उल्लंघन हुआ है, तो मंत्रालय उत्तर देने के लिए 30 दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। यदि उत्तर असंतोषजनक पाया जाता है, तो ब्याज सहित जुर्माने का भुगतान करने की देयता के अतिरिक्त भारत सरकार या राज्यों से इस उद्देश्य के लिए किसी भी अनुदान को प्राप्त करने के लिए संस्थान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ब्लैकलिस्ट किए गए संस्थानों के नाम और विवरणों को सभी संबंधितों को परिचालित किया जाएगा। यह ब्लैक लिस्टिंग 3 वर्षों के लिए होगी।

viii) चयनित संस्थान, संस्थान की पूर्व लिखित सहमति के बिना संविदा के क्रियान्वयन में संस्थान द्वारा नियोजित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को योजना के संबंध में मंत्रालय द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत संविदा, या उसके किसी उपबंधों के बारे में नहीं बताएगा।

ix) चयनित संस्थान किसी भी परिस्थिति के तहत अन्य सहयोगी/तृतीय पक्ष को प्रशिक्षण आउटसोर्स नहीं करेगी ।

x) संस्थान (i) कोचिंग कराए गए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार और (ii) उनके द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा, जो भी मामला हो, की सूचना प्रस्तुत करेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) **(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)**

कोचिंग संस्थान **डीईपीब्ल्यूडी**

xi) अनुदान ग्राही संस्थान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए और आवश्यकता होने पर ऑडिट के लिए खुला रहेगा।

xii) अनुदान ग्राही संस्थान समय-समय पर मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों का पालन करेगा। इस तरह के निर्देशों के उल्लंघन को इस एमओए की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

xiii) संस्थानों में दिव्यांग छात्रों के लिए निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए-

क. इसमें रैंप, सुगम्य शौचालय, बड़े प्रिंट वाली डिस्प्ले और ब्रेल संकेत आदि वाला बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए।

ख. इसमें अच्छी तरह से प्रकाशमय, हवादार और शोर मुक्त कक्षाएं होनी चाहिए।

ग. इसमें पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण की सुविधा होनी चाहिए।

घ. इसे मॉग पर संकेत भाषा दुभाषिए की व्यवस्था करनी चाहिए।

ङ. इसे दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए 25% अतिरिक्त कक्षाएं प्रदान करनी चाहिए।

च. इसे दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए दो अतिरिक्त अभ्यास परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए।

छ. इसमें दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) को कोचिंग प्रदान करने के लिए उपयुक्त सुगम्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाएं होनी चाहिए।

VII. लागू कानून

कार्य आदेश लागू विधायन की संरचना और ऐसे वाणिज्यिक लेन-देन/प्रक्रिया से संबंधित समय-समय पर बनाए गए अधिनियमन के भीतर भारत सरकार द्वारा स्थापित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा। संस्थान/कोचिंग सेंटर द्वारा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों में किसी भी प्रकार की चूक होने पर सूचीबद्धता को रद्द कर दिया जाएगा।

VIII. क्षेत्राधिकार

न्यायालय का क्षेत्राधिकार सभी उद्देश्यों के लिए नई दिल्ली में स्थित व्यक्तियों के लिए होगा।

इस समझौते ज्ञापन के निबंधन और शर्तों पर दोनों पक्ष सहमत हैं।

1. अन्य अनुबंध

यह समझौता दोनों पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख से लागू होगा। इस समझौते में पार्टियों की लिखित पारस्परिक सहमति से में किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी समीक्षा संविदा तारीख समाप्त होने से पहले अथवा संभाव्य नवीकरण के लिए पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत समय पर की जाएगी।

उपरोक्त तारीख पर साक्ष्य की उपस्थिति में दोनों पार्टियों ने समझौता किया है।

साक्ष्य का हस्ताक्षर 1. ....

नाम और पता ( )

2. ....
.....

नाम और पता ( )

(**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**)	(**प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**)
कोचिंग संस्थान	**डीईपीब्ल्यूडी**
दिनांक	दिनांक
मुहर	मुहर

****

<u>अनुबंध - क</u>

"दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग" योजना के तहत पहली किस्त के लिए संस्थान द्वारा दाखिला दिए गए छात्र की विस्तृत सूची भेजने हेतु प्रपत्र

पाठ्यक्रम :

पाठ्यक्रम के लिए आवंटित स्लॉट की संख्या :

1. उम्मीदवार के नामाकंन पर और पहली किस्त जारी करने से पहले:

क्र. सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	आधार नं./ वैकल्पिक पहचान	पता और दूरभाष सं.	समुदाय (अनु.जा./अनु.ज .जा./अ.पि.व)	पुरूष/ स्त्री	परिवार की वार्षिक आय	स्थानीय या बाह्य स्थान	दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशतता	आवंटित पाठ्यक्रम	आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता नं.	बैंक का आईएफए ससी कोड
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

2. प्रति व्यक्ति पाठ्यक्रम शुल्क:

3. दावा किया गया पाठ्यक्रम शुल्क (कुल पाठ्यक्रम शुल्क का 50%) : दर x छात्रों की संख्या/2

4. छात्रों के लिए स्टाइपेंड/भत्ता:

(i) बाह्य स्थान (स्टेशन) छात्रों की संख्या:

(ii) स्थानीय छात्रों की संख्या:

(iii) विशेष भत्ते की मांग वाले छात्रों की विवरण सहित संख्या:

5. दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) छात्रों के दिव्यांगता प्रमाणपत्र और परिवार आय प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपियाँ:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

मुहर और दिनांक

सहित

अनुबंध - ख

"दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग" योजना के तहत संस्थान द्वारा कोचिंग कराए गए/प्रशिक्षित दिव्यांग छात्रों की विस्तृत सूची भेजने हेतु प्रपत्र

1. पाठ्यक्रम के समाप्त होने पर और बाद के वर्षों में दूसरे किस्त के लिए प्रस्ताव भेजते समय:

क्रम सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	आधार नं./ वैकल्पिक पहचान	पता और दूरभाष नं.	समुदाय (अनु.जा./ अनु.ज.जा. /अ.पि.व)	पुरूष या स्त्री	परिवार की वार्षिक आय	स्थानीय या बाह्य स्थान (स्टेशन)	दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशतता	जिसके लिए कोचिंग की है उस परीक्षा में निष्पादन का विवरण			आधार से जुड़ी हुई बैंक खाता संख्या	बैंक का आईएफएससी कोड
										परीक्षा का नाम	रोल नं.	परिणाम		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2. प्रति व्यक्ति पाठ्यक्रम शुल्क:

3. दावा किया गया पाठ्यक्रम शुल्क (पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्रों की संख्या **x** पाठ्यक्रम शुल्क):

4. पाठ्यक्रम पूरा किए बिना उसे बीच में ही छोड़ने वाले छात्रों की संख्या और उनके द्वारा पाठ्यक्रम में उपस्थित हुए महीनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप (फॉर्मेट) में:

क्रम सं.	**छात्र का नाम**	**महीनों की संख्या जिनमें कोचिंग ली गई**	**कुल पात्र प्रतिपूर्ति**

5. पाठ्यक्रम शुल्क की कुल राशि(3+4):

6. प्राप्त पहली किस्त:

7. कुल दावा (5-6):

8. दिव्यांग छात्रों का बॉयोमैट्रिक विवरण:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

मुहर और दिनांक सहित

अनुबंध - ग

सीधे बैंक खाते में निधियां भेजने के लिए प्राधिकृत पत्र का प्रारूप (फॉर्मेट)

मैं/हम .....(संगठन का नाम) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा मुझे/हमें इलैक्ट्रानिक रूप से वितरित राशि को नीचे दिए गए मेरे/हमारे बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता/चाहती/चाहतें हूं/हैं। बैंक खाते का विवरण संबंधित बैंक द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया गया है।

प्राप्तकर्ता का विवरण

क्रम सं.	बैंक खाते में दिए गए अनुसार सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान का नाम	पूरा पता (पिनकोड नं. सहित)	एसटीडी कोड सहित दूरभाष नं.	बैंक का नाम	बैंक शाखा (पूरा पता और दूरभाष नं. सहित)	बैंक खाता नम्बर	बैंक का आईएफएस सी कोड	बैंक का एमआईसी आर कोड
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

नाम **संबंधित बैंक द्वारा अधिप्रमाणन**

हस्ताक्षर **दिनांक सहित बैंक की मुहर**

(कोचिंग संस्थान का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

मुहार और दिनांक सहित

<u>अनुबंध - घ</u>

<u>उपयोग प्रमाणपत्र का प्रपत्र</u>

जीएफआर 19-क प्रपत्र [नियम 212 (1) देखें]

[सहायता अनुदान प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाना है]

क्रम सं.	**पत्र सं. और दिनांक**	**राशि**
	कुल	

यह प्रमाणित किया जाता है कि हाशिए में दिए गए विभाग की पत्र सं. .....के तहत .....के नाम से वर्ष .....के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान राशि .....रू. में से और पिछले वर्ष के अव्ययित शेष .....रू. में से .....रू का उपयोग .....उद्देश्य के लिए किया गया है, जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी और वर्ष के अंत में शेष .....रू. की उपयोग नहीं की गई राशि सरकार को (दिनांक.....के सं.....के जरिए) वापस सौंप दी गई है / जिसे आगामी वर्ष ..... के दौरान संदेय सहायता अनुदान के प्रति समायोजित किया जाएगा।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर सहायता-अनुदान स्वीकृत किया गया था, उसे यथोचित रूप से पूरा किया गया है/पूरा किया जा रहा है और मैंनें निम्नलिखित जांच का प्रयोग यह देखने के लिए किया कि धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह स्वीकृत है।

प्रयोग की गई जांच के प्रकार-

1.
2.
3.
4.
5.

(ऑडिटर का हस्ताक्षर और दिनांक सहित मुहर)

(कोचिंग संस्थान का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

मुहर और दिनांक सहित

<u>अनुबंध - ङ</u>

"दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" के तहत कोचिंग किए गए / प्रशिक्षित छात्रों का विस्तृत निष्पादन भेजने हेतु प्रारूप (फॉर्मेट)

*****

क्रम सं.	छात्र का नाम	पिता का नाम	आधार न./वैकल्पिक पहचान	पता और दूरभाष नं.	समुदाय (अनु.ज./अनु.ज.जा./अन्य पि.व.)	दिव्यांगता	दिव्यांगता का %	पुरूष या महिला	परिवार की वार्षिक आय	उस परीक्षा में निष्पादन का विवरण जिसके लिए कोचिंग दी गई है		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13